राष्ट्र में न्यायशील व्यवस्था की स्थापना के हितलाभ

(Benefits of Establishing Justifiable System in the Nation)

कृषकों को प्रमुख हितलाभ (Main Benefits to Agro Workers)

1. कृषकों के लिए प्रतिपरिवार एक कर्म, एक पद, एक सम्पदा धारण करने का अधिकार परिवारप्रमुख की पात्रता के अनुरूप कृषिक्षेत्र में सुलभ होगा। भूमिहीन किसानों को प्रतिपरिवार 5 एकड़ तक अहस्तांतरणीय कृषिभूमि सरकार द्वारा सुलभ होगी। परिवार का अभिप्राय पति-पत्नी और उनके अवयस्क बच्चों एवं आश्रितों से होगा। प्राथमिक आयु के 25 वर्ष तक अवयस्कता मानी जाएगी।

2. जिन किसानों के पास 5 एकड़ की सीमा से न्यून कृषिभूमि होगी, उस न्यून मात्रा की पूर्ति सरकार द्वारा करी जाएगी।

3. किसानों के पास 5 एकड़ की अधिकतम सीमा तक कृषिभूमि की अहस्तांतरणीयता का न्यायसंगत नियम उन्हें बेरोजगारी और गरीबी से बचाए रखने में समर्थ होगा। कृषिकर्म में असफल होने पर उन्हें दूषित माना जाएगा, तथा जीवनयापन के लिए आपराधिक कर्म (भिक्षा, चोरी आदि) करने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

4. जिन किसानों के पास प्रतिपरिवार 5 एकड़ की सीमा से अधिक कृषिभूमि होगी, उस अतिरिक्त भूमि पर उस कृषकपरिवार का ऐच्छिक एवं स्वतन्त्र स्वामित्व होगा। अतिरिक्त भूमि को धारित अथवा हस्तांतरित करने का अधिकार किसानों को प्राप्त होगा।

5. प्रतिपरिवार 5 एकड़ की निर्धारित न्यूनतम कृषिभूमिसीमा से अधिक कृषिभूमि हस्तांतरणीय स्वामित्व वाली होगी। किसान द्वारा उस अतिरिक्त भूमि को स्वेच्छापूर्वक धारित अथवा बिक्रय, दान, उपहार आदि के रूप में किसी अन्य को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा।

6. अक्षय जीविकाकोष **(Eternal Employment Fund)** की स्थापना द्वारा कृषकों के लिए खेती, उद्यान, पशुपालन हेतु आवश्यक भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण, पौध, पशु, नगदी आदि संसाधनों की प्राप्ति के लिए निःशुल्क एवं ब्याजमुक्त सरल उधारी प्रदान करनेवाली बैंकिंग सेवा समुचित रूप से सुलभ होगी। यह उधारी स्वैच्छिक किश्तों द्वारा चुकता होने पर उसी राशि तक पुनः प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्याभूत लाभांशी ऋण प्रदान करनेवाली बैंकिंग सेवा भी सुलभ होगी।

7. कृषि उद्यमों का न्यायसंगत स्वरूप त्रिकोणीय होगा, जिसमें उत्पादन के तीनों साधनों श्रम, पूँजी, सुविधा को समान रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। तदनुसार प्रत्येक कृषि उद्यम पर तीन पक्षों का समान स्वामित्व होगा तथा उत्पादन का तीन समान भागों में विभाजन होगा।

8. कृषि उद्यम द्वारा उत्पादन के तृतीयांश पर श्रमिक का स्वामित्व, तृतीयांश पर पूँजीपति का स्वामित्व एवं तृतीयांश पर सरकार का स्वामित्व प्रतिष्ठित होगा।

9. कृषि के किसी भी संसाधन पर कोई राजस्व अथवा टैक्स का आरोपण नहीं होगा। केवल उत्पादन के तृतीयांश को ही राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह राजस्व ही राजकोष में जमा होगा।

10. राज्य की ओर से कृषकों को एक निर्धारित समुचित सीमा तक समस्त संसाधन एवं सुविधाएँ सुलभ करायी जाएँगी। इन्हीं संसाधनों एवं सुविधाओं की आपूर्ति के लिए ही राजस्व की वसूली होगी। यदि सरकार कृषकपरिवार को विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्रदान नहीं करती, तो उसे कृषकों से इस राजस्व की प्राप्ति का कोई न्यायोचित अधिकार नहीं होगा।

11. किसानों की भूमि अथवा किसी भी कृषि अथवा घरेलू सम्पदा पर लगान, टैक्स, रजिस्ट्रीशुल्क, स्टाम्पशुल्क, दाखिल-खारिजशुल्क, फसलशुल्क एवं अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लागू होगा।

12. प्रत्येक कृषकपरिवार को एक सर्वोपयोगी सीमा तक समान और उचित रूप से विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण की प्राप्ति का न्यायशील जनाधिकार सुलभ होगा। कृषि उत्पादन पर तृतीयांश राजस्व की प्राप्ति द्वारा निर्मित राजकोष चार समान भागों में बाँटकर विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. किसानों को ट्रैक्टर, पम्प एवं अन्य कृषियन्त्र, उपकरण, खाद, बीज, पौध, पशु आदि की खरीदी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स केवल सकल उत्पादन का एकमुश्त 1/3 भाग आरोपित होगा, जो आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर बैंकिंग लेन-देन पर 1% या 2% की दर से कटौती द्वारा सरलतापूर्वक संग्रहित किया जा सकेगा।

14. किसानों के लिए आवासीय भूमि व गृह पर टैक्स नहीं लगेगा तथा सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन जैसी सुविधासेवाएँ एवं चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी संरक्षणसेवाएँ भी एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क एवं टैक्सफ्री होंगी।

15. किसानों की प्रतिपरिवार आर्थिक आय को औसतमध्यम आर्थिक जीवनस्तर के समकक्ष बनाए रखने के लिए किसानों द्वारा उत्पादित माल की खपत के अनुपात में कृषकों की संख्या संतुलित बनाए रखना सरकार का कर्तव्य होगा।

16. कृषि उत्पादनों के बिक्रय हेतु विपणन बाजार एवं भण्डार की समुचित सुलभता होगी। प्रतिग्रामक्षेत्र आधार पर समुचितरूप से बाजार प्रतिष्ठित होंगे, जिससे कृषकों द्वारा उत्पादित माल का सरलतापूर्वक बिक्रय किया जा सकेगा।

17. कृषि उत्पाद के तृतीयांश भाग से अधिक मात्रा में किसी भी सुविधालागत की राशि का भुगतान कृषक द्वारा नहीं किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, बाजार आदि किन्हीं भी राजकीय सुविधाओं पर कोई शुल्क, कर, अधिभार आदि किसी भी रूप में कृषक द्वारा कुल उत्पादन के तृतीयांश भाग तक ही भुगतान किए जाने की अधिकतम सीमा होगी। साथ ही इन सुविधाओं के कृषि उपयोग का भी सीमानिर्धारण होगा।

18. प्रति कृषकपरिवार समुचित कृषिसंसाधन सुलभ कराने के लिए औसतमध्यम स्तर की आय को सुनिश्चित करने में समर्थ सीमा का निर्धारण किया जाएगा, ताकि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी कृषकपरिवार न्यून रोजगार के कारण गरीबी से ग्रस्त न हो।

19. प्रत्येक कृषकपरिवार के लिए आर्थिक आय के उपार्जन सम्बन्धी समस्त अवसरों की समुचित सुलभता को सरकारी नियमों, नीतियों, निर्णयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

20. कृषकपद से ऊपर उठकर वणिक, रक्षक, नायक आदि पदों के लिए पात्रतापरीक्षणों द्वारा पदोन्नत होने पर कृषिसम्पदा समर्पित अथवा रूपान्तरित करके उच्च कर्म, पद एवं सम्पदा प्राप्त करी जा सकेगी।

21. कृषिसंसाधन ही कृषिसम्पदा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। घरेलू उपयोग की सम्पत्ति के अतिरिक्त ऐसी कोई भी सम्पदा जिससे कृषिउत्पाद उपार्जित किया जा सके, उसे ही कृषिसम्पदा माना जाएगा। प्रत्येक कृषकपरिवार को अपनी घरेलू सम्पदा के अतिरिक्त इस कृषिसम्पदा को धारण करने का अधिकार होगा।

22. कृषकपरिवार पर किसी भी प्रकार का कोई मौद्रिक कर अथवा राजस्व आरोपित नहीं होगा, और उसे राजस्व एवं कर विभाग में कोई रिटर्न इत्यादि भी फाइल नहीं करना होगा।

23. कृषकों द्वारा राजस्व के रूप में सीधे सकल उत्पाद का तृतीयांश भाग ही राजस्व के रूप में समर्पित किया जाएगा। राज्य द्वारा राजस्व के रूप में प्राप्त इस कृषि उत्पाद को ज्यों का त्यों अथवा बाजार में स्वयं बिक्रय करके मौद्रिक धन प्राप्त किया जा सकेगा, अथवा उनके बैंकखातों पर राजस्व एवं कर की सीधी कटौती लागू होगी।

24. *कृषक परिवारों को घरेलू सम्पदा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा। कृषकों की घरेलू सम्पदा के अन्तर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुओं, जैसे 2500 वर्गफुट तक का आवासीय भूखण्ड तथा उस भूखण्ड पर प्रतिपरिवार आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित समुचित सीमा तक आवासीय भवन एवं घरेलू उपयोग के यन्त्र, उपकरण, उपस्कर, साजसज्जा, वस्त्राभूषण, वर्तन, अन्नादि खाद्य वस्तुएँ एवं नगदी इत्यादि। यह घरेलू सम्पदा कृषि हेतु प्रयुक्त संसाधनों से भिन्न होगी।*

25. *अन्य नागरिकों की भाँति कृषकपरिवार को भी सरकार की ओर से 2500 वर्गफुट का एक आवासीय भूखण्ड निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिस पर कृषकपरिवार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार भवन का निर्माण किया जाएगा। भूखण्ड पर 60% भवननिर्माण की अनुमति होगी, तथा 40% भाग पर घरेलू उद्यानरोपण किया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित एवं जीवन के अनुकूल बना रहे।*

26. *अन्य वर्गों की भाँति कृषकों के बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण राज्य द्वारा न्यायपूर्वक निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिसके लिए कुल राष्ट्रीय बजट में 25% विद्याबजट का प्रावधान होगा।*

27. *किसानों के बच्चों की 20 वर्ष की आयु तक भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन इत्यादि चारों विषयों का समुचित शिक्षण एवं उसके पश्चात् 25 वर्ष की आयु तक कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व इत्यादि चार कर्मों में से पात्रतानुसार किसी भी एक कर्मकौशल के समुचित प्रशिक्षण का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम भी लागू होगा।*

28. *कृषकों के बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण का 25 वर्षीय विद्यार्थीजीवन पूर्ण होने पर उनके शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा सिद्ध पात्रता के अनुसार एक रोजगार प्रतिपरिवार की दर से उन्हें सुलभ होगा। कर्म, पद, सम्पदा का स्वामित्व उनकी पात्रता द्वारा प्रतिष्ठित होगा।*

29. *कृषकों के बच्चों को वयस्क होने पर कृषिभूमि, वाणिज्यिकपूँजी, राजकीयवेतन अथवा नेतृत्वभत्ते में से कोई भी एक आर्थिक आयस्रोत उनकी निजी पात्रता के अनुसार सुलभ होगा, जिससे उनकी सन्तान युवा होने पर जीविकाविहीन अथवा बेरोजगार नहीं होंगे। वे कृषक, वणिक, रक्षक, नायक आदि किसी भी पद पर अपनी सिद्ध पात्रता के अनुसार प्रतिष्ठित हो सकेंगे। इसके लिए जाति, वंश, कुल, गोत्र, रंग, लिंग, क्षेत्र, पन्थ आदि भेदों का कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल विद्यार्थीजीवन में अर्जित पात्रता ही उनकी पदस्थापना का आधार होगी।*

30. *यदि कोई व्यक्ति कृषिभूमि पर स्वयं कार्य नहीं करता है, तो उसे कृषक नहीं माना जाएगा। उसे विनियोजक के रूप में पूँजीविनियोजक माना जाएगा। पूँजीविनियोजक को सकल उत्पादन के तृतीयभाग की प्राप्ति का न्यायोचित अधिकार होगा।*

31. *यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा केवल कृषिभूमि का विनियोग किया गया है, तथा अन्य पूँजी का विनियोग किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, तो कृषिभूमि के विनियोग की मूल्यवत्ता 1/6 भाग ही मान्य होगी, तथा कुल उत्पादन का 1/6 भाग ही भूमि के विनियोजक को प्राप्त होगा।*

32. *यदि कृषिसंसाधन (भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण, नगदी आदि) एवं कृषिश्रम के रूप में दोनों प्रकार के विनियोग कृषक द्वारा स्वयं किए गए हों, तो कृषकपरिवार को कुल उत्पादन का 2/3 भाग (66%) प्राप्त होगा, तथा शेष 1/3 भाग राजस्व के रूप में सरकार या समाज को प्रदान किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा सड़क, पानी, बिजली,*

परिवहन, संचार आदि सुविधाएँ तथा सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करी गयी हों।

33. कृषि उत्पादनों के वितरण में लागत और लाभ दोनों का समावेश होगा। लागत के अन्तर्गत श्रमलागत, पूँजीलागत, सुविधालागत के रूप में तीन लागतों का समावेश होगा, तथा सकल उत्पादन में से इन तीनों लागतों को घटाकर शेष भाग को ही लाभ माना जाएगा। इस लाभ के अन्तर्गत श्रमगत लाभ, पूँजीगत लाभ, सुविधागत लाभ का समावेश होगा। विनियोग के अनुपात में ही कृषकपरिवार को लागत और लाभ का अनुपातिक भाग सुलभ होगा।

34. कृषि उत्पादन पर कृषि उद्यम के तीनों स्वामियों का समान अधिकार होगा। श्रम और पूँजी दोनों निवेश कृषक द्वारा संभव हो सकता है, किन्तु तीसरा स्वामित्व सदैव सामाजिक अथवा सरकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सरकारी सुविधाओं जैसे– सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, संचार आदि के विना कोई भी उद्यम स्थापित नहीं हो सकता।

35. प्रतिवर्ष पदोन्नति हेतु पात्रतापरीक्षण की सार्वजनिक खुली प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक अथवा सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाज के चारों पदों कृषक, वणिक, रक्षक, नायक आदि के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने का अवसर सभी नागरिकों को समुचित रूप से सुलभ होगा। कृषकों को भी अपनी पात्रता सिद्ध करके पदोन्नत होने का अवसर प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता द्वारा सुलभ होगा।

36. न्यायशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था में कृषकपद पर बने रहने के लिए न्यायसिद्धान्त द्वारा निर्धारित समुचित पात्रता को बनाए रखना आवश्यक होगा। कृषकपद के लिए निर्धारित पात्रता क्षीण होने पर सामाजिक व्यवस्था से बहिष्कृत होना होगा। बहिष्कृत होने का मुख्य कारण जाबूझकर किया गया जघन्य आपराधिक व्यवहार होगा।

37. कृषकों को अपमान, अपकार, अपहिंसा, अपहरण, अपबन्धन इत्यादि पंचअपराधों में जानबूझकर लिप्त पाए जाने पर उन्हें कृषिकर्म, कृषकपद एवं कृषिसम्पदा से न्यायपूर्वक वंचित किया जा सकेगा। अनजाने में किए गए अपराध दण्डनीय नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए प्रायश्चित् विधान प्रशस्त होगा।

38. कृषकों के वाद–विवाद का निपटान त्वरित न्यायप्रक्रिया द्वारा निःशुल्क रूप से सुलभ होगा। उनके लिए स्थल पर न्याय **(Justice At Spot)** की व्यवस्था अपनायी जाएगी।

39. कृषकपरिवारों के लिए एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क सुरक्षा, निःशुल्क बीमा, निःशुल्क बैंकिंग आदि की सुलभता होगी।

40. कृषकपद किसी भी कृषक पति एवं पत्नी के लिए संयुक्त होगा। कृषिसम्पदा पर दोनों का संयुक्त अधिकार होगा। किन्तु किसी भी कारणवश विवाहसम्बन्ध विच्छेद होने पर पुनः दोनों की निजी पात्रता के अनुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था होगी। अलग होने पर दोनों के लिए न्यायपूर्वक निर्धारित रोजगार की पूर्ति सरकार द्वारा करी जाएगी।

41. कृषकों के बच्चों को पैतृक सम्पत्ति पाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार द्वारा न्यायसंगत रोजगार का संसाधन उनकी पात्रतानुसार सुलभ कराया जाएगा। पैतृक लोकसम्पदा पर सीधे किसी भी संतान का अधिकार नहीं होगा। किन्तु पैतृक घरेलू सम्पदा की प्राप्ति माता–पिता की इच्छा पर आधारित होगी।

न्याय धर्म सभा, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार.

फो0 : 01334–244760, मो0 : 09319360554.

website : www.nyayadharmsabha.org

email : info@nyayadharmsabha.org, nyaydharmsabha@gmail.com